Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में वार्ड पार्षद 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 जून, सोमवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शिवराज सिंह उर्फ शिवा प्रजापति पार्षद वार्ड संख्या 1, श्रीराम नगर, सुल्तानपुर, कोटा को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा किये जा रहे कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने, परेशान नहीं करने एवं बिल नहीं अटकाने की एवज में शिवराज सिंह उर्फ शिवा प्रजापति पार्षद वार्ड संख्या 1, श्रीराम नगर, सुल्तानपुर, कोटा द्वारा **1 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्वत** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री धर्मवीर सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये शिवराज सिंह उर्फ शिवा प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी झोटोली रोड़, श्रीराम नगर, थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा हाल पार्षद वार्ड संख्या 1, श्रीराम नगर, सुल्तानपुर, कोटा को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।